दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... हुक्म ... में ...
15-9-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.9.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29.9.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20.10.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
20.10.20	पत्रावली पेश। ... द्वारा ... न्यायिक ... रखने से दिनांक 27.10.20 को पेश हो।	
27.10.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर ... पदरिक्त है। अतः पत्रावली ... 10.11.20 को पेश हो। ... अधिकारी माण्डल	
10.11.20	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 24.11.20 को पेश हो। रीडर	
24.11.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अप्रार्थीगण को डिगनी मतेवा आयाफ़े दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवार हल्का मांडल द्वारा विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-प० की गई। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी ...वाड़ा	... कार्यवाही ... चाहता। 24.11.20

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.12.09 11:39:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 39/20 प्रा. पत्र

1– श्री रफीक मो. S/o श्री नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी–माण्डल त. माण्डल [भीलवाड़ा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री बद्रीलाल S/o श्री काना बलाई निवासी–माण्डल तहसील–माण्डल [भीलवाड़ा]
–मुताबिक प्रा. पत्र

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 24.11.2020

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलाई खेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1120/3337 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.05.20 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बलाई खेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1120/3337 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल 300/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि ... नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.12.09 11:39:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner